फर्द अहकाम

मुकाम

उप जिला कलेक्टर — गंगापुर सिटी

बनाम

परमौली — कमलेश वगैरा

मुकदमा नं० 95/22 सन्

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी परमौली पुत्र मंगल्या, माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी की ओर से श्री तरूण कुमार शर्मा एडवोकेट ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर पेश किया। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 4.11.2022 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	
4.11.22 वकील उभयपक्ष उप० हैं। अप्रार्थी सं० 12, 13 बावजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हैं। वास्ते जवाब पत्रा दि० 25.11.22 को पेश हो।	
25.11.2022 वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थीगण के वकील जबाब प्रस्तुत करने को समय चाहते हैं। अतः वास्ते जबाब पत्रावली दि० 06.12.2022 को पेश हो।	
6.12.2022 वकील उभयपक्ष उप०। गै० सा० [illegible] 1, 2, 3, 5 लगायत 11 की ओर से जवाब [illegible] प्रस्तुत हुआ। त० नि० प्रा० पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान वकील उभयपक्ष द्वारा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने पर सहमत हैं एवं इसी अनुसार त० नि० प्रा० पत्र का निर्णय करने पर सहमत हैं।	उभय पक्ष [illegible] रिकार्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	अतः ट.नि. प्रा०पत्र इसीप्रकार निर्णित किया जाता है। उभयपक्षकारों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ~~पाबंद~~ इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमि ख०नं० 906/0.15 है०, 915/0.05 है०, 916/0.20 है०, 917/0.10 है०, 918/0.03 है०, 919/0.44 है०, 920/0.16 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.13 है० ग्राम मिर्जापुर की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested